

ऑन लाईन नं. GCMS 2025/29

कार्यालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 09/2025

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

यनाम

1. श्री राहुल मिढढा पुत्र श्री राजेन्द्र मिढढा (मालिक व विक्रेता), 49 राणा प्रताप कॉलोनी बार्ड नं. 34, जिला श्रीगंगानगर, मै. श्री बालाजी ट्रेडर्स, 49 राणा प्रताप कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2008 की धारा 28(2)(ii)/51

निर्णय

दिनांक: 30.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक— प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/2023 दिनांक 13.03.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/660 दिनांक 16.03.2024 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया, निरन्तरता में परिवादी का खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक—प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप-3-2023 दिनांक 1.10.2024 के गजट में प्रकाशित हुआ एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक— आयुक्ता-खासुऔनि/संस्था/2024/2098 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.06.2024 को समय दोपहर 3:30 पी.एम. बजे मैसर्स—श्री बालाजी ट्रेडर्स 49 राणा प्रताप कालोनी, श्रीगंगानगर पर पहुँचे, मौके पर विक्रेता श्री राहुल मिढा पुत्र श्री राजेन्द्र मिढा को अपना परिचय दे कर संस्थान के रैंक में गाय का घी (अनुपा ब्राण्ड) 1 लीटर के 2 कार्टून में 30 नग (30 लीटर) एवं 500 एम एल के 1 कार्टून में 30 नग (15 लीटर) जार पैक के बारे में जानकारी चाही, तो इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान के रैंक में गाय का घी (अनुपा ब्राण्ड) 1 लीटर के 2 कार्टून में 30 नग (30 लीटर) एवं 500 एम एल के 1 कार्टून में 30 नग (15 लीटर) जार पैक को आमजन में बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से गाय का घी (अनुपा ब्राण्ड) नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म नं. 5ए भरकर देते हुए व्यक्ति की मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म नं. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फॉर्म नं 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे गाय का घी (अनुपा ब्राण्ड) 1 लीटर के 2 कार्टून में 30 नग (30 लीटर) एवं 500 एम एल के 1 कार्टून में 30 नग (15 लीटर) जार पैक में से 4 मूल जार पैक (500ml गुणा 4 = 2000 ml खाद्य पदार्थ गाय का घी (अनुपा ब्राण्ड) को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा गाय का घी (अनुपा ब्राण्ड) का नगद भुगतान 680 रुपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर कारोवारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राहुल मिठ्ठा पुत्र श्री राजेन्द्र मिठ्ठा (मालिक व विक्रेता) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म 5 ए की एक प्रति कारोवारकर्ता एवं मालिक श्री राहुल मिठ्ठा पुत्र श्री राजेन्द्र मिठ्ठा (मालिक व विक्रेता) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा गाय का घी (अनुपा ब्राण्ड) 4 मूल जार पैक (500ml गुणा 4 = 2000 ml) खाद्य पदार्थ गाय का घी (अनुपा ब्राण्ड) पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के-2371 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोवारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के-2371 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोवरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राहुल मिठ्ठा पुत्र श्री राजेन्द्र मिठ्ठा (मालिक व विक्रेता) एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।


स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-L.S./816/Act/2024/816 Dated 08.07.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-2371 Unsafe Food & Substandard Food होना पाया गया। फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच प्राप्त होने पर विक्रेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच हेतु श्री राहुल मिठ्ठा पुत्र श्री राजेन्द्र मिठ्ठा (मालिक व विक्रेता) ने आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन करने के पश्चात् रैफरल फूड लैबोरेट्री, मैसूर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट सं. FT/AQCL/FSSA(1059F)/2024 Dated 23.10.2024 में खाद्य पदार्थ का नमूना Sub-Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त राहुल मिठ्ठा पुत्र श्री राजेन्द्र मिठ्ठा (मालिक व विक्रेता), 49 राणा प्रताप कॉलोनी वार्ड न. 34, जिला श्रीगंगानगर, मै. श्री बालाजी ट्रेडर्स, 49 राणा प्रताप कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का गाय का घी (अनुपा ब्राण्ड)


अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 08.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।
परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया।
अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि

1. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 1 के तथ्य जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणिक करें कि उसकें द्वारा अंकित कथन सत्य व सही है। उक्त मद में अंकित कथन नोटिफिकेशन को आवेदक साक्ष्य व प्रमाण से सावित करे।
2. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 2 के वाक्यांत आंशिक स्वीकार है। उक्त नमूनीकरण का कार्य एफ एस ओ द्वारा विधिनुसार नहीं किया गया है।
3. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 3 के कथन आंशिक स्वीकार है। उक्त मद के अनुसार केशमीमों वनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर होना बताया गया है जबकि उक्त केशमीमों स्वयं एफ एस ओ ने विभाग द्वारा बनाये गये प्रारूप पर बनाया गया था। मिन एफ वी ओ से मेरी फर्म का मुद्रित/प्रिंट केशमीमों नहीं लिया गया है। जिससे भी यह सावित होता है कि उक्त वाद मिन जवाबदाता से लिये गये सैम्पल के विरुद्ध नहीं है। उक्त तथ्य विरोधाभासी होने व भिन्न भिन्न होने के आधार पर भी उक्त परिवाद सब्यय निरस्तणीय है।
4. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 4 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार है।
5. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 5 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार है। आवेदक एफ एस ओ द्वारा गवाहान के समक्ष नमूना सं. के 2371 मिन जवाबदाता के परिसर से गाय का घी अनुपा ब्राण्ड का नमूना लिया गया। आवेदक द्वारा उक्त मद के नमूना लेते समय उसे एकरूपता प्रदान करने व किस आधान/वर्तन नमूना लिया गया के तथ्य अंकित नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक एफ एस ओ द्वारा उक्त नमूनीकरण का कार्य एफ एस ए के नियमानुसार नहीं किया गया है इस आधार पर भी उक्त वाद निरस्तणीय है।
6. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 6 के कथन स्वीकार है। उक्त मद अनुसार फर्द रिपोर्ट आवेदक एफ एस ओ द्वारा भरा गया था जिसपर मिन जवाबदाता सहित गवाह एवं एफ है। एमएसओ के स्वयं के हस्ताक्षर है जिसे पूर्व में आवेदक द्वारा संलगन परिवाद पेश किया गया।
7. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 7 के कथन जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
8. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 8 के तथ्य स्वीकार है।
9. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 9 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
10. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 10 जानकारी व प्राण के अभाव में अस्वीकार है। साथ ही उक्त मद के अनुसार मैसूर लैब द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में गाय का घी अनुपा ब्राण्ड का नमूना अनसेफ फूड होना पाया गया है। लिखा है जिसके आधार पर उक्त परिवाद श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है। अनसेफ फूड का विक्रय करने के आधार पर उक्त परिवाद श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है। जबकि अनसेफ फूड के आधार पर श्रीमान न्यायालय को परिवाद पर श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। इस आधार पर भी वाद निरस्तणीय है।
11. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 11 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।


आत० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

12. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 12 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
13. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 13 के तथ्य निराधार होने के कारण अस्वीकार है मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार से विधि का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद विधि विरुद्ध तथ्यों पर आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है जो कि पोषणीय नहीं होने के कारण राव्य निरस्तणीय है। उक्त पेश में अनसेफ फूड का विकय करने के आधार पर उक्त परिवार श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है जबकि अनसेफ फूड के आधार पर श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। इस आधार पर भी वाद निरस्तणीय है। अप्रार्थी एफ वी ओ एफ एस ए की धारा 31 की उपधारा 2 की श्रेणी का कारोवारकर्ता है जिसकी शास्ति धारा 51 के तहत अधिरोपित नहीं की जा सकती है।

अतिरिक्त कथन :-

1. यह कि उक्त वाद पत्र के साथ आवेदक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः उक्त वाद अपने आप में परिपूर्ण विधिक औपचारिकताओं के अभाव में निरस्तणीय है।
2. यह कि उक्त वाद में आवेदक द्वारा नमूनीकरण के दौरान किस आधान में नमूना लिया गया एवं नमूने को एकरूपता प्रदान करने के कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है जिससे यह साबित हो कि आवेदक द्वारा नमूनीकरण के समय लिये गये सैम्पल को एक रूप किया गया जो कि विधिनुसार आवश्यक था। जिससे यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना सं. के-2371 लेते समय एफ एस एस ए के नियमों की पालना नहीं की गई है। न्याय दृष्टान्त FAC 207, 2014(1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है।
3. यह कि आवेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ की निर्माता, पैकिंगकर्ता एवं विक्रेता कम्पनी उत्तरदायी है। जबकि उक्त खाद्य पदार्थ में पाये गये दोष निर्माता से सम्बन्धित होने के कारण इस कृतय के लिए विधिनुसार निर्माता एवं पैकिंगकर्ता ही दोषी माना जाना न्यायोचित होने के कारण उक्त के निर्माता का उक्त वाद में पक्षकार है अतः उक्त दोष हेतु निर्माता एवं पैकिंगकर्ता को दोषी करार दिया जाना न्यायोचित है।
4. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSO व जन विश्लेषक को गवाही के उद्देश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावे जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है।
5. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 FAC 255, 2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है जिसकी प्रति संलग्न दस्तावेज है।
6. यह कि प्रस्तुत परिवार गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है तथा उक्त परिवार में धारा 39 का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा किया गया है जिसकी शास्ति/जुर्माना खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर विधिनुसार अधिरोपित कि जाकर उक्त अधिरोपित जुर्माना राशि मिन जवाबदाता को दिलवाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।
7. यह कि अन्य कथन बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासनिक)
श्रीगंगाजगर (राज.)


अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरुद्ध तथ्यों के प्रवृत्ति पर पेश किया गया है एवं FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या के-2371 में किसी भी से कोई अवहेलना नहीं की गई है जाँच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया गाय का घी (अनुपा ब्राण्ड) का सैम्पल K-271 रैफरल फूड लैबोरेट्री, मैसूर द्वारा जारी जाँच रिपोर्ट सं. FT/AQCL/FSSA(1059F)/2024 Dated 23.10.2024 होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि आवेदक द्वारा मैसूर लैब द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में गाय का घी अनुपा ब्राण्ड का नमूना अनसेफ फूड होना लिखा है जिसके आधार पर उक्त परिवाद श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है। अनसेफ फूड का विक्रय करने के आधार पर उक्त परिवाद श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है। जबकि अनसेफ फूड के आधार पर श्रीमान न्यायालय को परिवाद पर श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। इस आधार पर भी वाद निरस्तनीय है। उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरुद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एवं FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या K-2364 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जाँच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में मौजूद परिवाद में आवेदक द्वारा मैसूर लैब की जाँच रिपोर्ट में गाय का घी अनुपा ब्राण्ड का नमूना के-2371 जो अनसेफ फूड होना लिखा है, जबकि वास्तव में मैसूर लैब की जाँच रिपोर्ट में नमूना क्रमांक के-2371 सबस्टैंडर्ड फूड ही है। उक्त परिवाद में अंकित अनसेफ फूड सहवन (Typing Mistake) से दर्ज हुआ है, जिसे अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में भी यह तथ्य स्वीकार किया है कि आवेदक द्वारा गाय का घी अनुपा ब्राण्ड का नमूना अनसेफ फूड लिखना एक Typing Mistake है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में मैसूर लैब द्वारा जाँच रिपोर्ट में गाय का घी अनुपा ब्राण्ड का नमूना अनसेफ फूड लिखा होना Typing Mistake से लिखा गया होना पाया जाता है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में जो अनसेफ फूड का परिवाद प्रस्तुत करना अंकित किया है, खारिज किया जाता है।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample is **Substandard** as defined under section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act-2006 as it does not conform to the standard laid down for **Ghee** under the provision of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Regulations 2011 and Food Safety and Standards [Prohibition & Restriction On Sales] Regulation -2011. की जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।


अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन),
श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप अभियुक्त राहुल मिढढा पुत्र श्री राजेन्द्र मिढढा (मालिक व विक्रेता), 49 राणा प्रताप कॉलोनी वार्ड न. 34, जिला श्रीगंगानगर, मै. श्री बालाजी ट्रेडर्स, 49 राणा प्रताप कॉलोनी, श्रीगंगानगर को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त राहुल मिढढा पुत्र श्री राजेन्द्र मिढढा (मालिक व विक्रेता), 49 राणा प्रताप कॉलोनी वार्ड न. 34, जिला श्रीगंगानगर, मै. श्री बालाजी ट्रेडर्स, 49 राणा प्रताप कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर को राशि रूपये 10,000-00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अतिरिक्त निरीक्षण अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)
श्रीगंगानगर।